संख्या-6/2022/एस-49/38-2-2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2022

विषयः- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ के अधीन क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-612/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(1)/2021-22, दिनांक 09.03.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के अधीनस्थ 50 क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों हेतु मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0 74.13 लाख, पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अन्तर्गत 01-वेतन मद" में हो रही बचतों में से लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) के अन्तर्गत मानक मद 09-विद्युत देय में भुगतान हेतु धनराशि रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथ अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकडों की शुद्वता सुनिश्चित की जाये।

(5) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जायेगी।

(6) इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-एस-49(1)/38-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष 2021-22..... प्रपत्र बी0एम0 9(भाग-1)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनयोग
1	2	3	4	5	6 (2-5)
2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) मानक मद 01-वेतन	5020.00	1738.73	74.13	30.00	4990.00
योग -	5020.00	1738.73			

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनयोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनयोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) मानक मद					
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	7.56	5.56	0.00	2.00
09-विद्युत देय	45.00	75.00	30.00	30.00	75.00
49-चिकित्सा व्यय	40.00	78.57	38.57	0.00	40.00
योग	87.00	161.13	74.13	30.00	117.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में कई कार्मिकों के सेवानिवृत्ति उपरान्त पद रिक्त होने तथा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के पदों को न भरे जाने के कारण है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय उपरोक्त मदों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण से है।

3- प्रमाणित किया है कि उक्त पुनर्विनियोग में उत्तरप्रदेश बजट मैनुअलके प्रस्तर-150,151,155 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-668-ई-2- /दस-2022, दि0 29 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज।

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 29-03-2022 16:40:54
Reason: Approved

(रमेश चन्द्र मिश्र)
उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

(फूल चन्द)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

29-3-2022